न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/67/2025	2025/175	05.02.2025	06.05.2026

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) कठूमर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. हीरालाल पुत्र कुशला जाति नट निवासी घोसराना मोहनवास तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—
01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी
02—अप्रार्थी अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

तहसीलदार कठूमर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम —14 (4) भूमि आवंटन नियम, 1970 जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम मोहनवास तहसील कठूमर जिला अलवर की हाल आराजी खसरा न0 372 रकबा 0.88 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अप्रार्थी हीरालाल पुत्र कुशला जाति नट निवासी घोसराना मोहनवास तहसील कठूमर के नाम ग्राम मोहनवास तहसील कठूमर जिला अलवर राज० में खसरा नम्बर 372 मि0 रकबा 3.09 बीघा भूमि कृषि हेतु आवंटन होकर नामान्तकरण संख्या 71 पर गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। जिसके हाल आराजी खसरा न0 372 रकबा 0.88 है0 दर्ज है।

ग्राम मोहनवास में हाल आराजी खसरा न0 372 रकबा 0.88 है0 दिंनाक 28.12.1978 को गैर सायल को आवंटित हुई थी। वर्तमान में जमाबन्दी सम्वत् 2073—2076 से लागातार खाता संख्या 154 प्रर गैर खातेदारी दर्ज रिर्कोड है। ग्राम मोहनवास की मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2028 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 227 मिन रकबा 3.09 बीघा के हाल आराजी खसरा न0 372 रकबा 0.88 है0 बना है।

आवंटी द्वारा आवंटन से वर्तमान तक आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है। अतः आवंटन आदेश निरस्त किया जावें।

अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जा चुके है, के बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर प्रार्थी की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी। मुताबिक रिकॅार्ड उक्त विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 227 मिन रकबा 3.09 बीघा व हाल आराजी खसरा न0 372 रकबा 0.88 है0 भूमि के आवंटी/अप्रार्थी हीरालाल पुत्र कुशला जाति नट सा. घोसराना गैर—खातेदार दर्ज रिकॅार्ड है। पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण संख्या 71 द्वारा साबिक खसरा नंबर 227 मिन रकबा 3.09 बीघा व हाल आराजी खसरा न0 372 रकबा 0.88 है0 भूमि का अप्रार्थी/आवंटी हीरालाल पुत्र कुशला सा. घोसराना अलौटी गैर खातेदार का दर्ज व स्वीकृत किया गया। पटवारी हल्का जहाडू की रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 के अनुसार मौके पर अप्रार्थी/आवंटी का कोई कब्जा नहीं है और न ही उन्होंने भूमि पर कोई कृषि कार्य (काश्त) किया है। आवंटन की मूल शर्त स्वयं काश्त की पालना नहीं की जा रही है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर मौके पर अप्रार्थी गैर खातेदार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

अतः प्रार्थी, तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है और ग्राम मोहनवास, तहसील व जिला अलवर स्थित हाल आराजी खसरा न0 372 रकबा 0.88 है0 भूमि का आवंटन, जो अप्रार्थी/आवंटी (हीरालाल पुत्र कुशला जाति नट) के पक्ष में किया गया था, उसे निरस्त किया जाता है। उक्त भूमि को अप्रार्थी के नाम से खारिज कर पुनः सिवायचक (राजकीय) भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना महावर)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)